रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225613
CG-DL-E-03032021-225613

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942
No. 77] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2021

विषय: आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

फा. सं. W-18/28/2020-आईपीएचडब्ल्यू-एमईआईटीवाई.—1. पृष्ठभूमि

1.1 इलेक्ट्रॉनिकी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का प्रतिस्पर्धी (क्रॉस-कटिंग) आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। सरकार विनिर्माण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल बनाने और तुलनात्मक रूप से अन्य देशों में दिए जा रहे प्रोत्साहनों की ही तुलना में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

1.2 इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर का घरेलू उत्पादन वर्ष 2014-15 में ₹ 1,90,366 करोड़ (29 बिलियन अमरीकी डॉलर) से वर्ष 2019-20 में 23% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ वस्तुत: बढ़कर 5,33,550 करोड़ (75.7 बिलियन अमरीकी डॉलर) हो गया है। उद्योग द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2012 में लगभग 1.3% से बढ़कर वर्ष 2019 में 3.6 % हो गई है। इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर की घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि अर्थात वर्ष 2025 तक लगभग ₹26,00,000 करोड़ (400 बिलियन अमरीकी डालर) होने की उम्मीद के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिकी के मद में आयात के कारण तेजी से बढ़ रहे विदेशी मुद्रा बहिर्गमन को वहन नहीं कर सकता है।

1.3 आईडीसीके अनुसार, वर्ष 2019-20 में भारत में लैपटॉप के लिए बाजार का आकार लगभग 75 लाख रूपये (7.5 मिलियन) जिसका मूल्य 33.95 करोड़ रुपये (यूएसडी 4.85 बिलियन) था। इसी तरह, टैबलेट्स का बाजार आकार लगभग 24 लाख (2.4 मिलियन) यूनिट था जिसका मूल्य 3,500 करोड़ (यूएसडी 0.5 बिलियन) था। सर्वर का बाजार 2 लाख (0.2 मिलियन) यूनिट का था जिसका मूल्य 9,100 करोड़ (यूएसडी 1.3 बिलियन) था।

1.4 आईडीसीके अनुसार, वर्ष 2019-20 में वैश्विक सर्वर का बाजार 120 लाख (12 मिलियन) यूनिट जिसका मूल्य 6,44,000 करोड़ (यूएसडी 92 बिलियन) था। इसी अवधि के दौरान, भारतीय बाजार वर्ष 2019-20 में 0.2 मिलियन यूनिट जिसका मूल्य 9,100 (1.3 बिलियन अमरीकी डालर) रहा।

1.5 यह स्पष्ट हो गया है कि विभिन्न अनुसंधानों के जरिए शासन में सुधार करने , शिक्षा और उत्पादकता तक पहुंच बनाने में पीसी का बड़ा प्रभाव रहा है ,जबकि सूचना सामग्री और डेटा का उपयोग तेज़ी से स्मार्टफोन और मोबाइल उपकरणों के जरिए किया जा रहा है वहीं अभी भी सूचना सामग्री के सृजन हेतु निजी कम्प्यूटिंग उपकरण (PC) प्रमुख आधार के तौर पर प्रयुक्त हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका (1000 लोगों के लिए 784) और चीन (प्रति 1000 लोगों के लिए 41) की तुलना में भारत में प्रति 1000 लोगों में से 15 के पास पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) मौजूद होने से इसकी पैठ काफी कम है, और इस तरह यह विकास के महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

1.6 विगत वर्षों में, देश में आईटी हार्डवेयर विनिर्माण क्षमता और सामर्थ्य में उत्तरोत्तर गिरावट आई है और कई इकाइयां या तो परिचालन बंद कर चुकी हैं या कम क्षमता में काम कर रही हैं। वर्तमान में, भारत में लैपटॉप और टैबलेट की मांग काफी हद तक वर्ष 2019-20 में क्रमशः 4.21 बिलियन अमरीकी डालर और 0.41 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात के माध्यम से पूरी हुई है (आयातों के बाजार मूल्य पर आईसीईए-ईवाई के अनुमान के अनुसार)। देश में विनिर्माण को तेजी से बढ़ाने की अपेक्षा अनुपयोगी विनिर्माण क्षमता का उपयोग करना ज्यादा आसान है।

1.7 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में 200 बिलियन अमरीकी डालर आंकी गई है और वर्ष 2025 तक इसके 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, भारत में 1.2 बिलियन से अधिक मोबाइल ग्राहकों और 600 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल ईकोसिस्टम है । उद्योग के अनुमानों के अनुसार, किसी भी डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा केंद्रों के प्रमुख समर्थक होने के कारण वर्ष 2018 में इनके बाज़ार आकार में यूएसडी 1.0 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 2022 तक 1.5 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़त देखी जाएगी। घने स्तर पर इंटरनेट की पहुँच ,डेटा उपयोग में बढ़ोतरी ,सार्वजनिक क्लाउड सेवाएं, आईओटी उपकरण और डेटा स्थानीकरण के लिए सरकार के ज़ोर से भारत में डेटा केंद्रों की स्थापना करने वाले स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय प्लेयरों का प्रवेश होगा जो आगे देश में सर्वर की मांग को बढ़ाएगा ।

1.8 उपलब्ध अन्य योजनाओं के तहत उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र के लिए अपेक्षित सीमित राहत के बावजूद, अन्य बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र की इन कमियों को दूर करने के लिए एक मेकेनिज्म की जरुरत है। इसके अलावा, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत ने 217 टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क व्यवस्था लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईटी हार्डवेयर शामिल है।

1.9 **उभरते हुए अवसरों के साथ समान स्तर:** आईटी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों के साथ समान स्तर की कमी का सामना करना पड़ता है। उद्योग (स्रोत:आईसीईए और एलीसिना) के अनुमान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त अवसंरचना, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिसटिक; वित्त की उच्च लागत; गुणवत्तायुक्त विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता; सीमित डिजाइन क्षमताओं और उद्योगों के द्वारा अनुसंधान और विकास पर कम ध्यान केंद्रित करने तथा कौशल विकास में अपर्याप्तता के कारण लगभग 8.5% से 11% की कमी से जूझ रहा है। विनिर्माण संबंधी असमर्थताओं के साथ-साथ अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्षतिपूर्ति हेतु एक तंत्र की आवश्यकता है।

1.10 **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति (एनपीई 2019): एनपीई 2019** का लक्ष्य चिपसेट सहित मुख्य संघटकों को विकसित करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योगों के लिए सक्षम वातावरण बनाने हेतु देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके भारत को इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन एंड विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।

2. **उद्देश्य:** आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।

3. **प्रोत्साहन की मात्रा:** इस योजना के अंतर्गत पात्र कंपनियों को चार(4) वर्ष की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित और लक्षित खंडों में शामिल वस्तुओं की **वृद्धिशील बढ़ती बिक्री (आधार वर्ष पर) पर 4% से 6% तक का प्रोत्साहन** दिया जाएगा।

4. **लक्ष्य सेगमेंट:** पीएलआई के तहत लक्ष्य सेगमेंट में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी और (iv) सर्वर शामिल होंगे।

5. **पात्रता:** भारत में योजना के तहत कंपनियों को वस्तुओं (लक्ष्य खंड के तहत शामिल) के विनिर्माण के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।

5.1 योजना के तहत सहायता के लिए प्रति आवेदक के लिए आवेदन की संख्या एक (1) तक सीमित रहेगी।

5.2 पात्रता विनिर्मित वस्तुओं (लक्ष्य सेगमेंट के तहत शामिल) में वृद्धिशील निवेश और निवल वृद्धिशील बिक्री की सीमा के अधीन होगी। एक आवेदक को प्रोत्साहन के संवितरण के लिए पात्र होने के लिए सभी सीमा शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। अर्हता सीमा संबंधी मानदंड ***अनुबंध-क*** में विस्तार से दिए गए हैं।

5.3 योजना के तहत पात्रता किसी अन्य योजना के तहत पात्रता और विलोमत: को प्रभावित नहीं करेगी।

6. **स्थानीयकरण अनुसूची:**लक्ष्य सेगमेंट के तहत शामिल ऐसी विनिर्मित वस्तुएं, जिनकी निवल बिक्री को पात्रता निर्धारित करने के लिए विचारार्थ रखा जाता है और योजना के तहत देय प्रोत्साहन राशि स्थानीयकरण के लिए निम्न मानदंडों को पूरा करें।

क्र.सं.	समय सीमा	स्थानीयकरण के लिए सब-असेंबली	मानदंड	लागू प्रोत्साहन
1.	*01.04.2021*	**लागू नहीं**		**4%**
2.	*01.04.2022 के बाद*	**1. पीसीबी असेंबली**	आवेदक कंपनी द्वारा घरेलू स्तर पर स्वयं असेम्बल	**3%**
3.	*01.04.2023 के बाद*	**1. पीसीबी असेंबली**	आवेदक कंपनी द्वारा घरेलू स्तर पर स्वयं असेम्बल	**2%**
		2. बैटरी पैक	या तो आवेदक कंपनी द्वारा स्वयं या उसके विक्रेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्तर पर असेंबल। *(ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर के लिए लागू नहीं)*	
4.	*01.04.2024 के बाद*	**1. पीसीबी असेंबली**	आवेदक कंपनी द्वारा घरेलू स्तर पर स्वयं असेम्बल	**2%**
		2. बैटरी पैक	या तो आवेदक कंपनी द्वारा स्वयं या उसके विक्रेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्तर पर असेंबल। *(ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर के लिए लागू नहीं)*	
4		**3. पावर एडेप्टर / एसएमपीएस**	या तो आवेदक कंपनी द्वारा स्वयं या उसके विक्रेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्तर पर असेंबल	
		4. कैबिनेट्स/ चेसिस / एनक्लोसर्स	आवेदक कंपनी द्वारा स्वयं या उसके विक्रेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्तर पर निर्मित	
	या			

		1. पीसीबी असेंबली	आवेदक कंपनी द्वारा घरेलू स्तर पर स्वयं असेम्बल	
	01.04.2024 के बाद	**2. बैटरी पैक**	या तो आवेदक कंपनी द्वारा स्वयं या उसके विक्रेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्तर पर असेंबल । *(ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर के लिए लागू नहीं)*	**1%**
		3. पावर एडेप्टर / एसएमपीएस	या तो आवेदक कंपनी द्वारा स्वयं या उसके विक्रेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्तर पर असेंबल	

एक आवेदक कंपनी को विचाराधीन वर्ष में प्रोत्साहन के संवितरण के लिए पात्र होने के लिए उपरोक्त मानदंडों को पूरा करना होगा।

7. **योजना का कार्यकाल:** योजना के तहत सहायता चार (4) वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी ।

7.1 यह योजना आवेदन प्राप्त करने के लिए शुरू में साठ (60) दिनों की अवधि के लिए खुली रहेगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है।

7.2 उद्योग से प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी अवधि के दौरान योजना को किसी भी समय आवेदन के लिए फिर से खोला जा सकता है।

7.3 आरंभिक आवेदन की अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए आवेदक केवल योजना की अवधि के शेष कार्यकाल के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे।

8. **आधार वर्ष:** विनिर्मित माल की निवल वृद्धिशील बिक्री की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा ।

9. **प्रोत्साहन परिव्यय**

9.1 **कुल प्रोत्साहन** : योजना के तहत अपेक्षित वार्षिक प्रोत्साहन परिव्यय और संचयी प्रोत्साहन परिव्यय निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**कुल प्रोत्साहन**
	₹ करोड़
वर्ष 1	720
वर्ष 2	1,305
वर्ष 3	1,820
वर्ष 4	3,480
कुल	**7,325**

1 अप्रैल, 2021 से योजना के तहत प्रोत्साहन लागू होंगे ।

9.2 **प्रति कंपनी प्रोत्साहन:** प्रति कंपनी प्रोत्साहन, निर्णय के अनुसार सांकेतिकसीलिंग किए जाने के बशर्ते आधार वर्ष में विनिर्मित वस्तुओं (लक्ष्य सेग्मेंट के तहत शामिल) की निवल वृद्धिशील बिक्री पर लागू होगा जिसका विवरण अनुबंध-3 में दिया गया है । प्रत्येक वर्ष सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) की ओर से किसी भी आवेदक (आवेदकों) द्वारा किसी भी श्रेणी में पात्र उत्पादों की निवल वृद्धिशील बिक्री पर नियत वार्षिक सीलिंग के संदर्भ में कम प्रदर्शन के परिणामस्वरूप किसी भी अनुचित प्रोत्साहन राशि का आबंटन ऐसी किसी श्रेणी के तहत आने वाले बकाया पात्र आवेदकों के लिए किया जाएगा जिन्होंने वार्षिक सीलिंग से अधिक निवल वृद्धिशील बिक्री हासिल की है ।

10. संगणना का आधार

10.1 विभागों/मंत्रालयों/एजेंसियों और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्रों के समक्ष प्रस्तुत किए गए विवरणों के आधार पर वृद्धिशील निवेश और निर्मित वस्तुओं की निवल बिक्री का आकलन होगा ।

10.2 संबंधित विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से एमईआईटीवाई द्वारा कार्यात्मक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

11. नोडल एजेंसी

11.1 यह योजना एक नोडल एजेंसी के माध्यम से लागू की जाएगी।

11.2 इस तरह की नोडल एजेंसी एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य करेगी और समय-समय पर एमईआईटीवाई द्वारा सौंपे गए सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन संबंधी कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। पीएमए के विस्तृत गठन, कामकाज और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत जानकारी योजना संबंधी दिशानिर्देशों में दी जाएगी।

11.3 पीएलआई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए पीएमए अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

11.3.1 योजना के तहत आवेदन प्राप्त करना और पावती जारी करना ।

11.3.2 योजना के तहत समर्थन के लिए आवेदनों का मूल्यांकन और पात्रता का सत्यापन।

11.3.3 योजना के तहत प्रोत्साहन के वितरण के लिए पात्र दावों की जांच ।

11.3.4 योजना की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में आंकड़ों का संकलन जिसमें योजना के तहत कंपनियों के लिए विनिर्मित वस्तुओंका वृद्धिशील निवेश और निवल वृद्धिशील बिक्री शामिल है।

12. सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस)

12.1 सचिव की अध्यक्षता वाला एक अधिकार प्राप्त समूह सचिव (ईजीओएस) योजना की निगरानी करेगा, योजना के तहत आउटगो की समय-समय पर समीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा कि व्यय मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित निर्धारित परिव्यय के भीतर है।

12.2 ईजीओएस अपने निवेशों, रोजगार सृजन, उत्पादन और योजना के तहत मूल्य संवर्धन के संबंध में पात्र कंपनियों की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा।

12.3 ईजीओएस योजना की अवधि के दौरान यथोचित समझे जाने पर प्रोत्साहन दरों, सीलिंग, लक्ष्य खंड (खंडों) और पात्रता मानदंड को संशोधित कर सकता।

13 आवेदन अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया

13.1 भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी द्वारा योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।

13.2 परियोजना प्रबंधन एजेंसी को सभी पहलुओं में पूर्ण एक प्रारंभिक आवेदन, नियत तारीख से पहले प्रस्तुत करना होगा।

13.3 आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा पावती जारी की जाएगी। स्वीकृति को पीएलआई योजना के तहत अनुमोदन के रूप में नहीं लिया जाएगा।

13.4 पात्र आवेदनों को परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा सतत आधार पर अनुमोदित किया जाएगा और अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।

13.5 योजना के तहत परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा पात्र पाए गए आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया जाएगा।

13.6 योजना के तहत प्रोत्साहन दिनांक 01-04-2021 से लागू होंगे।

13.7 परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा जांच और अनुशंसा के अनुसार प्रोत्साहन जारी करने के दावों पर संवितरण हेतु विचार किया जाएगा।

13.8 ऐसे पात्र आवेदकों के लिए प्रोत्साहन जारी किया जाएगा जो आवश्यक सीमाएँ पूरी कर रहे हैं और जिनके संवितरण दावे क्रम में पाए जाते हैं।

13.9 योजना दिशानिर्देश के भाग के रूप में अनुमोदन और संवितरण की विस्तृत प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी।

14. योजना दिशानिर्देश

14.1 योजना के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं को शामिल करने वाले योजना दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा प्रभारी मंत्री की मंजूरी के साथ जारी किए जाएंगे।

14.2 योजना दिशानिर्देशों में कोई भी संशोधन प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

सौरभ गौड़, संयुक्त सचिव

<u>अनुबंध-क</u>

<u>पात्रता थ्रेशहोल्ड मानदंड</u>

खंड	**प्रस्तावित प्रोत्साहन दर**	**31.03.2021 के बाद वृद्धिशील निवेश**	**आधार वर्ष से विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री**
आईटी हार्डवेयर कंपनियाँ *(i)* लैपटॉप (₹ 30,000 और इससे अधिक का इनवॉइस मूल्य) *(ii)* टेबलेट्स (15,000 और इससे अधिक का इनवॉइस मूल्य) *(iii)* आल इन वन पीसीएस *(iv)* सर्वर्स	वर्ष 1: 4% वर्ष 2: 3% वर्ष 3: 2% वर्ष 4: 2%/1%	**4 वर्ष में ₹500 करोड़** **संचयी न्यूनतम (करोड़):** वर्ष 1: ₹ 50 करोड़ वर्ष 2: ₹ 150 करोड़ वर्ष 3: ₹ 300 करोड़ वर्ष 4: ₹ 500 करोड़	वर्ष 1: ₹1,000 करोड़ वर्ष 2: ₹2,500करोड़ वर्ष 3: ₹5,000 करोड़ वर्ष 4: ₹10,000 करोड़
घरेलूकम्पनियां *(i)* लैपटॉप *(ii)* टेबलेट्स *(iii)* आल इन वन पीसीएस *(iv)* सर्वर्स		**4 वर्ष में ₹20 करोड़** **संचयी न्यूनतम** (करोड़): वर्ष 1: ₹ 4 करोड़ वर्ष 2: ₹ 8 करोड़ वर्ष 3: ₹ 14 करोड़ वर्ष 4: ₹ 20 करोड़	वर्ष 1: ₹50 करोड़ वर्ष 2: ₹100 करोड़ वर्ष 3: ₹200 करोड़ वर्ष 4: ₹300 करोड़

***पात्रता के लिए, इन्वाइस वैल्यू पर ध्यान दिए बिना, विनिर्मित वस्तुओं की निवल वृद्धिशील बिक्री (लक्षित खंडों के तहत शामिल) पर विचार किया जाएगा।**

****घरेलू कंपनियों को ऐसी कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो वर्ष 2017 के एफडीआई के नीतिगत परिपत्र में परिभाषित भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में हैं।** किसी भी कंपनी को निवासी भारतीय नागरिकों के 'स्वामित्व' वाली कंपनी के रूप में तब माना जाता है जब इसमें 50% से अधिक पूंजी किसी निवासी भारतीय नागरिकों और/या भारतीय कंपनियों के पास होती है, जो अंततः किसी निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में होती हैं।

अनुबंध-ख

तालिका 2: प्रति कम्पनी विनिर्मित वस्तुओं की निवल वृधिशील बिक्री पर अपेक्षित वार्षिक सीमा जिस पर प्रोत्साहन लागू होंगे।

वित्त वर्ष	**आईटी हार्डवेयर कंपनियाँ**	**डोमेस्टिक चैंपियन**
	करोड़ में	
वर्ष 1 (वित्त वर्ष 2021-22)	3,000	300
वर्ष 2 (वित्त वर्ष 2022-23)	7,500	600
वर्ष 3 (वित्त वर्ष 2023-24)	15,000	1,600
वर्ष 4 (वित्त वर्ष 2024-25)	30,000	2,400
कुल	**55,500**	**4,900**

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2021

Subject: Production Linked Incentive Scheme (PLI) for IT Hardware—

F. No. W-18/28/2020-IPHW-MeitY.—1. Background

1.1 Electronics permeates all sectors of the economy and the electronics industry has cross-cutting economic and strategic importance. The Government has been actively working to create a conducive environment for electronics manufacturing and to offer incentives comparable with those offered in other countries to attract large investments into the electronics manufacturing sector.

1.2 The domestic production of electronics hardware has increased substantially from ₹1,90,366 crore (USD 29 billion) in 2014-15 to ₹5,33,550 crore (USD 75.7 billion) in 2019-20 at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 23%. India's share in global electronics manufacturing has grown from 1.3% in 2012 to 3.6% in 2019, as per industry estimates. With the domestic demand for electronics hardware expected to rise rapidly to approximately ₹26,00,000 crore (USD 400 billion) by 2025, India cannot afford to bear the rapidly increasing foreign exchange outgo on account of import of electronics.

1.3 According to IDC, the market size for laptops in India was approximately 75 lakh (7.5 million) units in 2019-20 valued at ₹33,950 crore (USD 4.85 billion). Similarly, the market size for tablets was around 24 lakh (2.4 million) units, valued at ₹3,500 crore (USD 0.5 billion). The server market stood at 2 lakh (0.2 million) units valued at ₹9,100 crore (USD 1.3 billion).

1.4 As per IDC, the global server market stood at 120 lakhs (12 million) units valued at ₹6,44,000 crore (USD 92 billion) in 2019-20. During the same period, the Indian market stood at 2 lakhs (0.2 million) units valued at ₹9,100 crore (USD 1.3 billion) in 2019-20.

1.5 The impact that Personal Computers (PCs) have had in improving governance, access to education and productivity is established through various research. While consumption of content and data is rapidly transitioning to smartphones and mobile devices, personal computing devices are still the mainstay of content creation. India's Personal Computer (PC) penetration at 15 per 1000 people is significantly lower compared to United States (784 for 1000 people) and China (41 per 1000 people), and thus presents significant growth opportunities.

1.6 Over the years, the IT Hardware manufacturing capability and capacity in the country has progressively declined and many units have either ceased operations or are operating at low capacities. Currently, the laptop and tablet demand in India is largely met through imports valued at

USD 4.21 billion and USD 0.41 billion, respectively, in 2019-20 (as per ICEA-EY estimates on market value of imports). The unutilized installed manufacturing capacity is a low hanging fruit as regards to quickly scaling up manufacturing in the country.

1.7 India's Digital Economy is currently valued at USD 200 billion and is slated to grow to USD 1 trillion by 2025. In addition, India has the fastest growing digital ecosystem with over 1.2 billion mobile subscribers and over 600 million internet users. As per Industry estimates, data centres being key enablers in any Digital Economy will see an increase in market size from USD 1.0 billion in 2018 to USD 1.5 billion by 2022. Deeper internet penetration increase in data consumption, public cloud services, IoT devices and the Government's push for data localization, shall lead to an influx of local and international players setting up data centres in India, which will further boost server demand in the country.

1.8 Given the limited relief expected for the aforesaid electronics manufacturing sector under other available schemes, there is need for a mechanism to compensate for the manufacturing disabilities vis-à-vis other major manufacturing economies. Also, as a signatory to the Information Technology Agreement (ITA-1) at the World Trade Organization (WTO), India has implemented zero duty regime on 217 tariff lines which *inter-alia* includes IT Hardware.

1.9 **Level playing field with emerging opportunities**: The IT Hardware manufacturing sector faces the lack of a level playing field vis-à-vis competing nations. As per industry estimates (Source: ICEA and ELCINA), electronics manufacturing sector suffers from a disability of around 8.5% to 11% on account of lack of adequate infrastructure, domestic supply chain and logistics; high cost of finance; inadequate availability of quality power; limited design capabilities and focus on R&D by the industry; and inadequacies in skill development. There is need for a mechanism to compensate for the manufacturing disabilities vis-à-vis other major manufacturing economies.

1.10 **National policy on electronics (NPE 2019)**: The vision of NPE 2019 is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) by encouraging and driving capabilities in the country for developing core components, including chipsets, and creating an enabling environment for the industry to compete globally.

2. **Objective**: The Production Linked Incentive Scheme (PLI) for IT Hardware proposes a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments in the value chain.

3. **Quantum of Incentive**: The Scheme shall extend an incentive of 4% to 2% / 1% on net incremental sales (over base year) of goods manufactured in India and covered under the target segment, to eligible companies, for a period of four (4) years.

4. **Target Segment**: The Target Segment under PLI shall include (i) Laptops (ii) Tablets (iii) All-in-One PCs and (iv) Servers.

5. **Eligibility**: Support under the Scheme shall be provided to companies based on the eligibility criteria laid down, for manufacturing of goods (covered under the target segment) in India.

5.1 The number of applications allowed per applicant for support under the Scheme shall be restricted to one (1).

5.2 Eligibility shall be subject to thresholds of incremental investment and net incremental sales of manufactured goods (covered under the target segment). An applicant must meet all the threshold conditions to be eligible for disbursement of incentive. Eligibility threshold criteria are detailed in **Annexure A**.

5.3 Eligibility under the Scheme shall not affect eligibility under any other Scheme and vice-versa.

6. **Localization Schedule**: Manufactured Goods covered under the Target Segment, the net sales of which are considered for determining eligibility and incentive amount due under the Scheme must meet the following criteria for localization:

S. No	Timeline	Sub-Assembly to be Localized	Criteria	Applicable Incentive
1	*01.04.2021*	**Not Applicable**		**4%**
2	*01.04.2022 onwards*	1. **PCB Assembly**	Assembled domestically by the applicant company itself	**3%**
3	*01.04.2023 onwards*	1. **PCB Assembly**	Assembled domestically by the applicant company itself	**2%**
		2. **Battery Packs**	Assembled domestically, either by the applicant company itself or through one of its vendors. *(not applicable for All-in-One PCs and Servers)*	
4	*01.04.2024 onwards*	1. **PCB Assembly**	Assembled domestically by the applicant company itself	**2%**
		2. **Battery Packs**	Assembled domestically, either by the applicant company itself or through one of its vendors. *(not applicable for All-in-One PCs and Servers)*	
		3. **Power Adapters / SMPS**	Assembled domestically, either by the applicant company itself or through one of its vendors.	
		4. **Cabinets / Chassis / Enclosures**	Assembled domestically, either by the applicant company itself or through one of its vendors.	
	OR			
	01.04.2024 onwards	1. **PCB Assembly**	Assembled domestically by the applicant company itself	**1%**
		2. **Battery Packs**	Assembled domestically, either by the applicant company itself or through one of its vendors. *(not applicable for All-in-One PCs and Servers)*	
		3. **Power Adapters / SMPS**	Assembled domestically, either by the applicant company itself or through one of its vendors.	

An applicant company must meet the above-mentioned criteria to be eligible for disbursement of incentive in the year under consideration.

7. **Tenure of the Scheme**: Support under the Scheme shall be provided for a period of four (4) years.

7.1 The Scheme shall be open for applications till March 31, 2021 initially which may be extended.

7.2 The Scheme may also be reopened for applications anytime during its tenure based on response from the industry.

7.3 For applications received post the initial application period, applicants shall only be eligible for incentives for the remainder of the Scheme's tenure.

8. **Base Year**: Financial Year 2019-20 shall be treated as the base year for computation of net incremental sales of manufactured goods.

9. Incentive Outlay

9.1 **Total Incentive**: The expected annual incentive outlay and cumulative incentive outlay under the Scheme is as follows:

Financial Year	Total Incentive
	₹*Crore*
Year 1	720
Year 2	1,305
Year 3	1,820
Year 4	3,480
Total	**7,325**

Incentives shall be applicable from April 1, 2021 under the Scheme

9.2 **Incentive Per Company:** The incentive per company will be applicable on net incremental sales of manufactured goods (covered under the Target Segment) over base year subject to indicative ceilings as given in **Annexure B**. At the end of each year, any unappropriated incentive amount resulting from underperformance with respect to the prescribed annual ceiling on net incremental sales of eligible products, by any applicant(s) in any category, will be allocated to the remaining eligible applicants under such category who have achieved net incremental sales in excess of the annual ceiling.

10. Basis of Computation

10.1 Assessment of incremental investment and net sales of manufactured goods shall be based on details furnished to the Departments / Ministries / Agencies and Statutory Auditor certificates.

10.2 Functional Guidelines will be issued by MeitY in consultation with concerned Departments / Ministries.

11. Nodal Agency

11.1 The Scheme shall be implemented through a Nodal Agency.

11.2 Such Nodal Agency shall act as a Project Management Agency (PMA) and be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MeitY from time to time. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the PMA will be elaborated in the Scheme Guidelines.

11.3 For carrying out activities related to the implementation of the PLI Scheme, PMA would *inter-alia* be responsible for:

11.3.1 Receipt of applications under the Scheme and issuing acknowledgements.

11.3.2 Appraisal of applications and verification of eligibility for approval under the Scheme.

11.3.3 Examination of claims eligible for disbursement of incentive under the Scheme.

11.3.4 Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme including incremental investment and net incremental sales of manufactured goods for companies under the Scheme.

12. Empowered Group of Secretaries (EGoS)

12.1 An Empowered Group of Secretaries (EGoS) chaired by Cabinet Secretary will monitor the Scheme, undertake periodic review of the outgo under the scheme and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay as approved by the Cabinet.

12.2 The EGoS will conduct a periodic review of eligible companies with respect to their investments, employment generation, production, and value addition under the Scheme.

12.3 The EGoS may revise incentive rates, ceilings, target segment(s) and eligibility criteria as deemed appropriate during the tenure of the Scheme.

13. Application Approval and Disbursement Process

13.1 Application under the Scheme can be made by any company registered in India.

13.2 An initial application, complete in all aspects, will have to be submitted before the due date to the Project Management Agency.

13.3 Acknowledgement will be issued by the Project Management Agency after initial scrutiny of the application. The acknowledgement shall not be construed as approval under PLI Scheme.

13.4 Eligible applications will be appraised by Project Management Agency on an ongoing basis and considered for approval.

13.5 Applications, as found eligible by the Project Management Agency under the Scheme will be recommended for approval of the Minister-in-Charge.

13.6 Incentives under the Scheme will be applicable from 01-04-2021.

13.7 Claims for release of incentives, as examined and recommended by the Project Management Agency, will be considered for disbursement.

13.8 Incentive shall be released to eligible applicants who are meeting the required thresholds and whose disbursement claims are found to be in order.

13.9 Detailed procedure for approval and disbursal will be provided as part of Scheme Guidelines.

14. Scheme Guidelines

14.1 Scheme Guidelines covering all aspects of implementation of the Scheme will be finalised in consultation with NITI Aayog, DPIIT and Department of Commerce and will be issued by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) with the approval of the Minister-in-charge.

14.2 Any amendment in the Scheme Guidelines will be carried out with the approval of the Minister-in-charge.

SAURABH GAUR, Jt. Secy.

Annexure A

Eligibility Threshold Criteria

Category	**Proposed Incentive Rate**	**Incremental Investment after 31.03.2021**	**Net Incremental Sales of Manufactured Goods over Base Year**
IT Hardware Companies *(i) Laptops (Invoice value of ₹30,000 and above),* *(ii) Tablets (Invoice value of ₹15,000 and above),* *(iii) All-in-One PCs* *(iv) Servers*	Year 1: 4% Year 2: 3% Year 3: 2% Year 4: 2% / 1%	**₹500 Crore over 4 Years** ***Cumulative Minimum*** (₹ Crore): Year 1: ₹50 Crore Year 2: ₹150 Crore Year 3: ₹300 Crore Year 4: ₹ 500 Crore	Year 1: ₹ 1,000 Crore Year 2: ₹ 2,500 Crore Year 3: ₹5,000 Crore Year 4: ₹10,000 Crore
Domestic Companies *(i) Laptops* *(ii) Tablets* *(iii) All-in-One PCs* *(iv) Servers*		**₹ 20 Crore over 4 Years** ***Cumulative Minimum*** (₹ Crore): Year 1: ₹ 4 Crore Year 2: ₹ 8 Crore Year 3: ₹14 Crore Year 4: ₹20 Crore	Year 1: ₹ 50 Crore Year 2: ₹ 100 Crore Year 3: ₹ 200 Crore Year 4: ₹ 300 Crore

For eligibility, Net Incremental Sales of Manufactured Goods (covered under the target segment) irrespective of Invoice Value shall be considered.

*****Domestic Companies shall be defined as those which are owned by resident Indian citizens as defined in the FDI Policy Circular of 2017.*** *A company is considered as 'Owned' by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens.*

Annexure B

Expected Annual Ceiling on Net Incremental Sales of Manufactured Goods Per Company on which Incentive shall be applicable

Financial Year	IT Hardware Companies	Domestic Champions
	₹ *Crore*	
Year 1 (FY 2021-22)	3,000	300
Year 2 (FY 2022-23)	7,500	600
Year 3 (FY 2023-24)	15,000	1,600
Year 4 (FY 2024-25)	30,000	2,400
Total	**55,500**	**4,900**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.03 20:29:48 +05'30'